समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

–: आदेश :–

12-11-2013

आवेदक **श्री बिरेन्द्र कुमार,** पिता–श्री अवधेश सिंह, सा0–न्यू कुमार नर्सिंग होम, मेन रोड, अशोक नगर, थाना–कंकड़बाग, जिला–पटना, स्थायी पता–ग्राम–गोनवॉ, थाना–नौबतपुर, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–591/2010 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की तिथि–18.10.2013 निर्धारित की गई। अपरिहार्य कारणों से सुनवाई की पहली तिथि स्थगित करते हुए दूसरी तिथि–12.11.2013 निर्धारित की गई।

दूसरी निर्धारित तिथि दिनांक–12.11.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे डॉक्टर हैं और ग्रामीण क्षेत्र में Practice करते हैं। पूर्व में उनसे रंगदारी की माँग की गयी थी। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–1680/गो0, दिनांक–18.08.2010 द्वारा अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर के जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि आवेदक के विरूद्ध कंकड़बाग थाना कांड सं0–172/09, दि0–25.06.2009 दर्ज किया गया है, जो अनुसंधानोपरांत माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उल्लेखनीय है कि आवेदक को दूरभाष पर अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा मोबाईल से रंगदारी स्वरूप रूपये की माँग की गयी थी, जिसके संबंध में कंकड़बाग थाना कांड सं0–228/10, दि0–14.06.2010 दर्ज किया गया है। तदोपरान्त अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर के अग्रसारण से सहमत होते हुए आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को मूल रूप में संलग्न कर मात्र अग्रसारित किया गया है, कोई अनुशंसा अंकित नहीं की गयी है। थानाध्यक्ष, कंकड़बाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक डॉक्टर हैं। उनके विरूद्ध कंकड़बाग थाना कांड सं0–172/09, दि0–25.06.2009 दर्ज किया गया है, जो अनुसंधानोपरांत माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव न्यायालय में लंबित वाद के निपटारा के बाद ही शस्त्र अनुज्ञप्ति दिया जा सकता है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि "आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझे, और उप–धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा :

परन्तु जहॉ निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहॉ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो वह विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश कर सकेगा।"

विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश कर सकेगा।"

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक के विरूद्ध कंकड़बाग थाना कांड सं0–172/2009, दि–25.06.2009 अभी भी न्यायालय में लंबित है तथा उनके द्वारा दर्ज कराए गए कंकड़बाग थाना कांड सं0–228/2010 का फलाफल अप्राप्त है।

अतएव शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री बिरेन्द्र कुमार, पिता–श्री अवधेश सिंह, सा0–न्यू कुमार नर्सिंग होम, मेन रोड, अशोक नगर, थाना–कंकड़बाग, जिला–पटना, स्थायी पता–ग्राम–गोनवॉ, थाना–नौबतपुर, जिला–पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।